भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2466

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

वर्षा जल संचयन संबंधी कानून

2478. डॉ (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्षा जल संचयन हेतु कोई कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मॉडल बिल्डिंग बाई लाज,, 2016 जारी कर दिए गए हैं जिसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग नामक एक पाठ है। 33 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रावधानों को अंगीकृत कर लिया है। इस पाठ के प्रावधान सभी भवनों पर लागू होते हैं। रेनवाटर हार्वेस्टिंग पालिसी राज्य सरकार/शहरी ग्रामीण निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के दायरे में आती है। मॉडल बिल्डिंग बाई लाज-2016 के अनुसार रैनवाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान 100 वर्गमीटर से अधिक के सभी आवासीय प्लाट्स पर लागू होता हैं।

भूजल के अतिदोहन एवं परिणामी कमी को नियंत्रित करने हेतु मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास को नियत्रित करने हेतु उपयुक्त भूजल कानून बनाने हेतु एक मॉडल बिल परिचालित किया है जिसमें रैनवाटर हार्वेस्टिंग प्रावधान भी निहित हैं। अभी तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल बिल के निर्देशानुसार भूजल कानून तैयार तथा लागू कर लिया है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए 'इनवायरमेंट (प्रोटेक्शन), अधिनियम, 1986' की धारा 3(3) के तहत बनाया गया है। सीजीडब्ल्यूए देश में उद्योग/आधारभूत ढ़ांचे/खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निकासी को नियंत्रित कर रहा है जिसके लिए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार हो चुका है जिसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय वर्षा जल संचयन नामक एक प्रावधान भी शामिल है।

जल, राज्य का विषय होने के नाते देश में जल संरक्षण एवं जन संचयन सहित जल प्रबंधन हेतु पहल करना प्रथमत: राज्यों की जिम्मेदारी है। तथापि, देश में भूजल के संरक्षण, प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलबध हैं- http:mowr.gov.in/sites/default/files/steps_to_control_water_depletion_jun2019.pdf.

*****